



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-28042025-262744
CG-TL-E-28042025-262744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947

No. 1877]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 28 अप्रैल, 2025

का.आ. 1919(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "चलवारीपल्ली - ताड़ीपत्री स्टेशनों के बीच किमी 362/0-1 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 159 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण" को आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. W.Con/RSP/Gazette /LC. 159 /RU-GY /GSU/GTL]

बी राम कृष्ण, सीपीएम/ जीएसयू/जीटीएल

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 28th April, 2025

S.O. 1919(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 159 at Km. 362/0-1 in between Chalavaripalli–Tadipatri Stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Andhra Pradesh in the District of Ananthapur for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. W. Con/RSP/Gazette /LC. 159 /RU-GY /GSU/GTL]

B RAMA KRISHNA, CPM/GSU/GTL